उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

गुरूवार, 21 मार्गशीर्ष, शक संवत्, 1940

(दिनांक : 06 दिसम्बर, 2018)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिये नत्थी **"क"**)।
2. प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख"**)
3. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी **"ग"**)
4. निधन के निदेश।
5. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
6. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम प्रेम राजपुर में मेन रोड से विद्या के खेत की ओर सी0 सी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री ओमपाल सैनी पुत्र श्री दलपत सैनी, ग्राम-प्रेमराजपुर, पो0-भगवानपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
7. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम बिनारसी गाँव से मेन रोड से ऋषिपाल के खेत के बराबर से कब्रिस्तान तक सी0 सी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री राकेश पुत्र श्री ईश्वरदत्त, ग्राम-बिनारसी, पो0-चुडियाला, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगें।
8. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम दौडबसी में शमशान घाट की चार दिवारी का निर्माण करने के सम्बन्ध में" श्री शिशपाल, पुत्र श्री सत्तू, ग्राम-दौडबसी, पो0-सिरचन्दी, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
9. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा भीमताल के अन्तर्गत नवीन मण्डी खोले जाने के सम्बन्ध में" श्री दिवान राम पुत्र श्री हरीराम, ग्राम व पो0 पोखरी, जिला नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
10. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा भीमताल के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सम्बन्ध में" श्री गोपाल दत्त पुत्र श्री हरीकृष्ण, ग्राम-ओखलकाण्डा, जिला नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगें।
11. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''भीमताल विधान सभा भीमताल नगर में भारी लोड होने के वजह से भीमताल बाईपास मार्ग बनाने के सम्बन्ध में" श्री चन्द्रेश पाण्डे पुत्र श्री दीप चन्द्र पाण्डे, तल्लीताल, भीमताल, जिला नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगें।

12. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

13. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

14. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

15. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**''घ''**)

16. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

17. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

18. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाय।

19. आयुष शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

20. आयुष शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाय।

21. वित्तीय वर्ष 2018-2019 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदानः-

(1) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत **रू0 200824 हजार (बीस करोड़ आठ लाख चौबीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(2) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-03 मंत्रि-परिषद के अन्तर्गत **रू0 290939 हजार (उन्नीस करोड़ नौ लाख उन्तालीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(3) विधि एवं न्याय मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत **रू0 146079 हजार (चौदह करोड़ साठ लाख उन्यासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(4) निर्वाचन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-05 निर्वाचन के अन्तर्गत **रू0 27561 हजार (दो करोड़ पचहत्तर लाख इक्कसठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(5) राजस्व मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत **रू0 110790 हजार (ग्यारह करोड़ सात लाख नब्बे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(6) वित्त मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत **रू0 3557170 हजार (तीन सौ पचपन करोड़ इकहत्तर लाख सत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(7) आबकारी मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-08 आबकारी के अन्तर्गत **रू0 23680 हजार (दो करोड़ छत्तीस लाख अस्सी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(8) गृह मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत **रू0 263860 हजार (छब्बीस करोड़ अड़तीस लाख साठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(9) शिक्षा मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत **रू0 2060620 हजार (दो सौ छः करोड़ छः लाख बीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(10) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत **रू0 1661389 हजार (एक सौ छियासठ करोड़ तेरह लाख नवासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(11) पेयजल मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत **रू0 1841991 हजार (एक सौ चौरासी करोड़ उन्नीस लाख इक्यानवे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(12) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत **रू0 422782 हजार (बयालीस करोड़ सत्ताईस लाख बयासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(13) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत **रू0 1236963 हजार (एक सौ तेईस करोड़ उनहत्तर लाख तिरसठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(14) श्रम मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत **रू0 272580 हजार (सत्ताईस करोड़ पच्चीस लाख अस्सी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(15) कृषि मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत **रू0 3111653 हजार (तीन सौ ग्यारह करोड़ सोलह लाख तिरपन हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(16) सहकारिता मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत **रू0 50300 हजार (पांच करोड़ तीन लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(17) ग्राम्य विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत **रू0 2181717 हजार (दो सौ अठारह करोड़ सत्रह लाख सत्रह हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(18) सिंचाई मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत **रू0 480857 हजार (अड़तालीस करोड़ आठ लाख सत्तावन हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(19) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत **रू0 106000 हजार (दस करोड़ साठ लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(20) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत **रू0 2239395 हजार (दो सौ तेईस करोड़ तिरानवे लाख पंचानवे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(21) उद्योग मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत **रू0 163511 हजार (सोलह करोड़ पैंतीस लाख ग्यारह हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(22) परिवहन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत **रू0 144449 हजार (चौदह करोड़ चवालीस लाख उनचास हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(23) खाद्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत **रू0 10455 हजार (एक करोड़ चार लाख पचपन हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(24) पर्यटन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत **रू0 62410 हजार (छः करोड़ चौबीस लाख दस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(25) वन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत **रू0 213937 हजार (इक्कीस करोड़ उन्तालीस लाख सैंतीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(26) पशुपालन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत **रू0 400246 हजार (चालीस करोड़ दो लाख छियालीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(27) उद्यान मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत **रू0 131835 हजार (तेरह करोड़ अठारह लाख पैंतीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(28) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रू0 709891 हजार (सत्तर करोड़ अठ्ठानवे लाख इक्यानवे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

(29) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रू0 380167 हजार (अड़तीस करोड़ एक लाख सड़सठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

22. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (2018-2019 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

23. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (2018-2019 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करेंगे।

24. वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2018-2019 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय।

25. वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2018-2019 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2018 पारित किया जाय।

26. निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरणः-

(1) श्री सुरेन्द्र सिंह जीना — ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में जहॉ लोग विभिन्न कारणों से कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं, के सम्पूर्ण भाग पर सरकारी अथवा सहकारिता के माध्यम से कृषि, बागवानी, सगन्ध पुष्प अथवा अन्य कोई रोजगारपरक खेती करायी जाय।''

(2) श्री देशराज कर्णवाल — ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मत्स्य विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2016 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 पदों पर बिना आरक्षण के माध्यम से आउट सोर्सिंग/उपनल से तथा 14 पदों पर संविदा के द्वारा बिना विज्ञप्ति एवं आरक्षण लागू न करते हुए भर्ती की गई। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जांच की जाय''।

(3) श्री गोपाल सिंह रावत — ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि सुआखोली-भवान-नगुण मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को प्रेषित किया जाय''।

(4) श्री प्रीतम सिंह पंवार — ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि की जाय''।

(5) श्री धन सिंह नेगी — ''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ई-नेटवर्किंग में मोबाईल कार्य हेतु कार्यरत सभी कम्पनियां अपने-अपने उपभोक्ताओं की किसी भी तरह की जानकारियां किसी अन्य कम्पनियों को उपलब्ध न कराये''।

27. श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया ''बाल गंगा विकास खण्ड'' बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''

28. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय।''

29. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियॉ की जाय''।

30. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय''।

31. काजी मौ0 निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाय''।

32. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुऑ, जिला नैनीताल, एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे है, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय''।

33. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय''।

34. श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा अध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाय एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु 'राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण' का गठन भी किया जाय।''

35. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया जाय।''

36. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनायी जाय।''

37. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्टा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय''।

38. निम्नलिखित 105 के प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण :-

(1) श्रीमती ममता राकेश — ''यह सदन सरकार प्रस्ताव करता है कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर 'डा0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा भवन' कर दिया जाय।''

(2) श्री देशराज कर्णवाल — ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में 1992 से अब तक एस0सी0/एस0टी0/ओ0 बी0सी0 के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाय।''

(3) श्री प्रीतम सिंह पंवार — ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि ट्रामा सेन्टर कण्डीसौड़ (छाम) विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल को शीघ्र संचालित कराय जाय''।

39. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा से अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाये।''

40. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी-छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।''

41. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।''

42. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गये व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान किया जाय।''

43. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय आपदा ग्रस्त घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि वे केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया करायी जाय।''

44. निम्नलिखित नियम-54 की सूचनाओं का प्रस्तुतीकरणः-

श्री देशराज कर्णवाल — "यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के कार्मिक विभाग के अन्तर्गत "इरशाद हुसैन" आयोग का गठन किया गया था जिसकी रिर्पोट सदन के पटल पर अभी तक नहीं रखी गई है। सदन के पटल पर यह रिपोर्ट अविलम्ब रखी जाय।"

45. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारीः-

"प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय।"(**30 मिनट**)

46. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारीः-

"प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय।"(**30 मिनट**)

47. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

48. प्रदेश में नौजवानों द्वारा स्वयं के संसाधनों से सोलर प्लांट में उत्पादित ऊर्जा को उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रय न किये जाने के सम्बन्ध में, श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

49. विधान सभा क्षेत्र कपकोट में दिनांक 29 नवम्बर, 2018 को आयोजित विवाह समारोह में फूड प्वाईजनिंग से हुई घटना के कारणों की सी0बी0आई0 जांच तथा प्रभावित व मृतक आश्रितों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में, श्री बलवन्त सिंह भौर्याल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।

देहरादून :
दिनांक :05 दिसम्बर, 2018

उत्तराखण्ड विधान सभा

तृतीय सत्र, 2018 का
प्रथम गुरूवार

उत्तराखण्ड विधान सभा की

कार्यसूची

गुरूवार,

मार्गशीर्ष 21, शक संवत्, 1940

(दिनांक : 06 दिसम्बर 2018)

नत्थी 'क'

अल्पसूचित प्रश्न

श्री प्रीतम सिंह पंवार
27.11.2018

** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाये जाने की दिशा में सरकार द्वारा कौन–कौन से कारगर कदम उठाये जा रहे हैं? क्या सरकार औद्यानिकी, कृषि तथा फ्लोरीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए उक्त विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की योजना पर विचार करेगी? यदि हां तो, कब तक? यदि नही, तो क्यों?

शिक्षा

नत्थी 'ख'

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 40 (2) के अन्तर्गत तृतीय सत्र 2018 के प्रथम गुरूवार हेतु निर्धारित स्थगित तारांकित प्रश्न

श्री प्रीतम सिंह पंवार
06.06.2018

श्री देशराज कर्णवाल
13.06.2018

*1. शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि प्रदेश में बी0एड0, बी0पी0एड0 तथा टी0ई0टी0 उत्तीर्ण/प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी है और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार की क्या कोई योजना प्रस्तावित है? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार कब तक उपलब्ध करवा लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

नत्थी 'ग'

तारांकित प्रश्न

श्रीमती ममता राकेश **01.11.2018**	*1. क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों में शिक्षकों की अत्यधिक कमी है? यदि हां, तो क्या सरकार संस्कृत महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करायेगी? यदि नही तो क्यों?	**संस्कृत शिक्षा**
श्री देशराज कर्णवाल **05.11.2018**	*2. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि छठे वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर वेतन निर्धारण हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या–27/गगअपप(7)(स्प01)2009 दिनांक 13 फरवरी 2009 के अनुसार वेतन निर्धारण हेतु दोहरे विकल्प की व्यवस्था थी तथा प्रदेश के अनेको शिक्षक जो जानकारी न होने के कारण विकल्प पत्र नहीं भर पाये? क्या सरकार उक्त सभी शिक्षको की वेतन निर्धारण में हो रही हानि को उत्तर प्रदेश सरकार की भॉति समाप्त कर उन्हें विकल्प पत्र भरने का अवसर प्रदान करने पर विचार कर रही है? यदि हॉ तो कब तक? यदि नही तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री देशराज कर्णवाल **06.11.2018**	*3. क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि राज्य के विकास में युवाओं की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कोई नई युवा नीति बनाई जा रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	**युवा कल्याण**
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना **19.11.2018** **श्री विनोद कण्डारी** **27.11.2018**	*4. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि प्रदेश में खेलों के समुचित विकास हेतु नये खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा कोई खेल नीति बनाई गयी है और नीति के अनुरूप विकासखण्ड स्तर पर खेल सुविधाओं के विकास हेतु स्टेडियम एंव अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है? यदि हॉ, तो उक्त नीति के क्या परिणाम है? यदि नही, तो क्यो?	**खेल**
श्री प्रीतम सिंह पंवार **22.11.2018**	*5. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि राज्य में कृषि को बढ़ावा देने तथा स्वरोजगार की दशा में उपयोगी बनाने के लिए इण्टरमीडिएट तक प्रत्येक ब्लाक मुख्यालयों में राजकीय इण्टरमीडिएट कॉलेजों में कृषि विषय को पढ़ाये जाने की व्यवस्था सरकार द्वारा किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
22.11.2018

*6. क्या शिक्षा मंत्री अवगत है कि प्रदेश के अधिकतर विद्यालयों में शिक्षकों की अत्यधिक कमी है, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है? यदि हॉ, तो क्या सरकार रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षकों की शीध्र नियुक्ति करने पर विचार करेगी? यदि हॉ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

शिक्षा

श्री प्रीतम सिंह पंवार
26.11.2018

*7. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत रा0इ0का0 भवान (जौनपुर) जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता गणित, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी तथा एल0टी0 हिन्दी एवं अंग्रेजी के पद भी लम्बे समय से रिक्त चले आ रहे है? विद्यालय प्रबंधन समिति, अभिभावकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा छात्र–छात्राओं के द्वारा रिक्त पदों को भरे जाने की मांग की जा रही है? क्या सरकार छात्रहित में रिक्त पदों को भरेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

स्थगित अतारांकित प्रश्न

श्री देशराज कर्णवाल
02.08.2018

01. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के सभी पर्वतीय जिलों के इण्टर कॉलेजों व विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण वहां शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है? क्या सरकार शिक्षकों की कमी और शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कोई कार्य प्रणाली अपना रही है? क्या मंत्री जी इस कार्य प्रणाली का विवरण सदन के पटल पर रखेंगें? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

श्री देशराज कर्णवाल
09.08.2018

02 **आगामी सत्र हेतु स्थगित** ।

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि राज्य की 30 पंचायतों को ई–विलेज योजना के अन्तर्गत स्मार्ट विलेज बनाने का जो निर्णय लिया गया था, सरकार द्वारा कब तक पूरा किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायतीराज

अतारांकित प्रश्न

श्रीमती ममता राकेश
01.11.2018

1. संस्कृत शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि क्या सरकार संस्कृत को बढावा देने हेतु संस्कृत महाविद्यालयों की स्थापना करने पर विचार कर रही हैं? यदि हॉ तो कब तक यदि नही तो क्यों?

संस्कृत शिक्षा

श्रीमती ममता राकेश
05.11.2018

2. क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर जनपद हरिद्वार में इन्डोर स्टेडियम का निर्माण कराया गया है, जिसका नाम डा0 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से कर दिया गया है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त स्टेडियम में प्रशिक्षण व अन्य कार्यो हेतु स्टाफ की व्यवस्था की गयी है? यदि नहीं तो क्यों?

खेल

श्रीमती ममता राकेश
05.11.2018

3. क्या विद्यालयी शिक्षा मंत्री बतायेगें कि प्रदेश में कितने ऐसे इण्टरमीडिएट कॉलेज है जिनमें इण्टर स्तर पर सिर्फ विज्ञान विषयों की स्वीकृति है? क्या इन विद्यालयों में मानविकी विषयों की स्वीकृति प्रदान करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हॉ तो स्वीकृति कब तक प्राप्त होगी? यदि नहीं तो क्यों?

विद्यालयी शिक्षा

श्री सुरेश राठौर
05.11.2018

4. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम बुग्गावाला में डिग्री कॉलेज की स्थापना प्रस्तावित है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा

श्री सुरेश राठौर
05.11.2018

5. क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम नौकराग्रन्ट उर्फ बुग्गावाला में स्वीकृत खेल मैदान हेतु धन आवंटन की कोई स्वीकृति प्रदान की गयी है? यदि हां, तो कितनी धनराशि आवंटित की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

युवा कल्याण

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
06.11.2018

6. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि प्रदेश के 6 (छः) जनपदों में ''साक्षर भारत कार्यक्रम'' के अन्तर्गत वर्ष 2010 से कार्यरत ''शिक्षा प्रेरकों' का 25 (पच्चीस) माह का मानदेय सरकार के पास बकाया है? क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त मानदेय में रू0 1,000/– प्रति माह की वृद्धि की गई थी? क्या उक्त राज्यांश 15 (पन्द्रह) माह की अवधि का उक्त शिक्षा प्रेरकों का बकाया है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार जनहित में अविलम्ब 25 माह का मानदेय तथा 15 माह का राज्यांश अदा करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

श्री सुरेश राठौर
06.11.2018

7. **द्वितीय मंगलवार के अतारांकित 29 में स्थानान्तरित।**

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि ज्वालापुर विधान सभा में एम0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत सिक्खों हेतु वर्ष 2017–18 व 2018–19 में कोई इण्टर कॉलेज बनाये जाने की योजना स्वीकृत है? यदि हां, तो उसका विवरण सदन में प्रस्तुत करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

श्री सुरेश राठौर
09.11.2018

8. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि उत्तराखण्ड प्रदेश में जनपदवार जीर्ण–शीर्ण राजकीय विद्यालय भवनों की संख्या कितनी है तथा उक्त जीर्ण शीर्ण भवनों के सुदृढ़ीकरण/पुनःनिर्माण एवं नए राजकीय विद्यालय भवनों की नवनिर्माण की कोई योजना गतिमान है?यदि हॉ, तो मंत्री जी उक्त विवरण सदन में प्रस्तुत करेंगे?यदि नही तो क्यों?

शिक्षा

श्री देशराज कर्णवाल
09.11.2018

9. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि सरकार के निर्णय के अनुसार प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को निःशुल्क वाई–फाई सेवा दिये जाने के अन्तर्गत कितने विश्वविद्यालयों को सुविधा दी गई तथा कितने शेष है? क्या इसमें निजी विश्वविद्यालय भी शामिल है? सभी महा विद्यालयों को निःशुल्क वाई–फाई सुविधा हेतु सरकार की क्या कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हॉ तो क्या? यदि नहीं तो क्यों?

उच्च शिक्षा

श्री देशराज कर्णवाल
12.11.2018

10. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान को पूरा करने हेतू प्रदेश भर में क्या कन्या महाविद्यालयों को निर्माण किया जा रहा है? मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेडा में कन्या महाविद्यालय खोलने की सरकार की योजना प्रस्तावित है? यदि हॉ, तो सरकार द्वारा उसको कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

उच्च शिक्षा

श्री देशराज कर्णवाल
14.11.2018

11. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि उर्दू अध्यापकों की जो भर्ती जारी विज्ञप्ति के आधार पर चयन प्रक्रिया नियमानुसार की गई तथा जो वर्तमान में कार्यरत है उनकी नियुक्ति को अवैध ठहराये जाने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यदि भर्ती अवैध है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि हां तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

श्री प्रीतम सिंह पंवार
14.11.2018

12. क्या पंचायतीराज मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि प्रदेश में मिशन अन्त्योदय योजना एवं ग्राम पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत चयनित 1374 ग्राम पंचायतों में बेसलाईन सर्वे का कार्य पूर्ण किया जा चुका है? क्या सरकार बतायेगी की उक्त योजना के अन्तर्गत कार्ययोजना एवं क्लस्टर प्लान को ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित कराते हुए ग्राम सभाओं से पारित करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायतीराज

श्री प्रीतम सिंह पंवार
14.11.2018

13. **प्रथम सोमवार के अतारांकित 94 में स्थानान्तरित।**

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों को न्यूनतम मानदेय दिये जाने के संबंध में ग्राम रोजगार सेवक संगठन उत्तराखण्ड लम्बे समय से मांग कर रहा है ? क्या यह सत्य है कि मनरेगा ग्राम रोजगार सेवकों ने इन दस वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर पलायन को रोकने में अहम भूमिका का निर्वाह किया है ? यदि हां, तो क्या ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय में वृद्धि की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों ?

पंचायतीराज

श्री दलीप सिंह रावत
14.11.2018

14. **प्रथम सोमवार के अतारांकित 95 में स्थानान्तरित।**

क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेगें कि कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) में मेडिकल कालेज की स्थापना की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **उच्च शिक्षा**

श्री राम सिंह कैड़ा
15.11.2018

15. क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि पहाड़ में युवा प्रतिभाओं को आगे लाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम बनाने का आश्वासन किया गया था लेकिन आज भी ओखलकाण्डा, धारी, रामगढ़, भीमताल में युवाओं को खेतों तथा नदी के किनारों में खेलने जाना पड़ता है? क्या सरकार द्वारा पहाड़ों में युवाओं के लिये मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **युवा कल्याण**

श्री देशराज कर्णवाल
19.11.2018

16. क्या शिक्षा मंत्री अवगत है कि सहायता प्राप्त अशाासकीय डिग्री कालेजो इण्टर कालेजों एव जू0 हा0 स्कूलों मे चुनी हुई प्रबन्ध समितियों का कार्यकाल 3 वर्ष है, जो भारतीय संविधान एंव लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नही है? क्या मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की शिक्षण संस्थाओ के हित एंव लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप शासकीय, अशासकीय, डिग्री कालेजों इण्टर कालेजो एव जू0 हा0 स्कूलो की प्रबन्ध समितियो का कार्यकाल 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष किये जाने पर विचार कर रही है? अथवा नही? **शिक्षा**

श्री प्रीतम सिंह पंवार
26.11.2018

17. क्या पंचायतीराज मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि राज्य में जनपदवार कुल कितनी पेयजल योजनाऐं में ग्राम पंचायतों के रख रखाव में है? क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायतों के अनुरक्षण में अधिकांश पेयजल योजनाओं बजट एवं रख रखाव के अभाव में या तो बंद है, या आंशिक रूप से गतिमान है, जिस कारण ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? क्या सरकार ग्राम पंचायतों के अनुरक्षण वाली योजनाओं का जल संस्थान के अनुरक्षण में लेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **पंचायतीराज**

श्री विनोद कण्डारी
26.11.2018

18. क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत है कि विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत दद्धिघडियांल बडियारगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा महाविद्यालय स्थापना की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो अभी तक महाविद्यालय के निर्माण न हाने के क्या कारण है? क्या सरकार जनहित को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्र ही महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रारम्भ करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **उच्च शिक्षा**

श्री देशराज कर्णवाल
26.11.2018

19. क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि राज्य के नये सहकारी बैंकों की स्थापना की जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **सहकारिता**

श्री विजय सिंह पंवार
27.11.2018

20 क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रा0इ0का0 मंदार, वि0ख0जाखणीधार, जनपद टिहरी गढ़वाल में सहायक अध्यापक एल0टी0 के तीन पद तथा प्रवक्ता के पांच पद काफी लम्बे समय से रिक्त चल रहे है? क्या यह सत्य है कि अभिभावकों की मांग पर अधोहस्ताक्षरी के द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक 931/09/2018 दिनांक 20.09.2018 के माध्यम से रिक्त पदों पर नियुक्ति/तैनाती कराये जाने का अनुरोध किया गया था? यदि हां तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या मंत्री जी बतायेगें कि छात्रहित में रिक्त पदों पर नियुक्ति/तैनाती कब तक करा दी जायेगी? यदि नही ंतो क्यों?

शिक्षा

नत्थी–''घ''

कार्यमंत्रणा समिति ने दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 की बैठक में दिनांक 06 दिसम्बर एवं 07 दिसम्बर, 2018 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

06 दिसम्बर, 2018

विधायी कार्य–

1. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2018 के विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**

2. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 के विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**

(शेष कार्यक्रम यथावत रहेगा।)

07 दिसम्बर, 2018

विधायी कार्य–

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 को उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 152(2) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये विधेयक पर विचार एवं पारण। **(20 मिनट)**

- श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को सदन में की गयी घोषणा के अनुक्रम में दिनांक 24 मार्च, 2018 को विचाराधीन निम्नलिखित विषय पर विचारः– **(1 घण्टा)**

''सत्त विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)''